

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

अमृत एव चरणवत् कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य परीक्षार्थी के नाम से।
उपरोक्त विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो वह समाप्त एवं दिनांक उपरोक्त दिनांक तक विद्यमान प्रविष्ट है।



नाम : श्रीमती/श्री
दस्तावेज : 0081-(0751) 2442001
(फ़ोन/फैक्स)
2442452 (विद्यार्थी)
फैक्स : (0091-0751-2241768)
E-mail :
jyotiba_gvu@rediffmail.com
Website :
http://www.jyotiba.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5826

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरियोजना की तैयारी दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पत्र क्रमांक (02) के निर्णयानुसार टी.एस.एस. महाविद्यालय, मुंबईना को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. (रसायनशास्त्र), बी.ए. (अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, आ.पा., संस्कृत, भूगोल), बी.कॉम. (समस्त अधिवार्य विषय, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अति.वि.), बी.टी.ए., बी.एस-सी. (गणित, भौतिकी, रसायन, तन्त्रज्ञान, प्राणिकी, आ.पा., कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, अति.वि.), एम.ए. (अंग्रेजी, समाजशास्त्र, हिन्दी), एम.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस, प्राणिकी), एम.बॉम. एवं पी.जी.डी.टी.ए., पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. प्रयोगशालाओं में उपकरण एवं तकनीकलस की संख्या बढ़ाई जावे।
2. खेल के मैदान को स्वयं हेतु विकसित किया जावे।
3. पुस्तकें प्रत्येक विद्या हेतु रु. 5000/- की खरीदी जावें।
4. 20(17) में विद्युतियां और कड़ाई जावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, टी.एस.एस. महाविद्यालय, मुंबई
2. आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, गोवाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाराष्ट्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-नवल समाज, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परिभा.जोपजीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा उपाय क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)